



Neutral Citation No. - 2026:AHC:34736

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 2472/2026

सेवाराम एवं 32 अन्य याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य प्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता : प्रेम चंद सरोज

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि वर्तमान याचिका में मांगी गई राहत के लिए, कुछ व्यक्तियों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 4229/2025 (सेवा राम एवं अन्य बनाम हरी चंद एवं अन्य) दायर की थी, जिसमें दिनांक 21.01.2025 को उनके पक्ष में निर्णय और आदेश पारित किया गया है।
2. इस स्थिति को देखते हुए, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जाने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है।
4. उपरोक्त के आलोक में, वर्तमान याचिका मांगी गई स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

17 फरवरी, 2026

सकलन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"